



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, सी-129, विद्यालय मार्ग, पथ संख्या 2सी,
अशोक नगर, राँची-834002 (झारखण्ड)

Regional Office - Ranchi, C-129, Vidyalaya Marg, Road No. 2C,
Ashok Nagar, Ranchi - 834002 (Jharkhand)

Ph./Fax : 0651-2244029, 2244030 | e-mail : roranchi@nhai.org
website : www.nhai.gov.in

संदर्भ: भाराराप्रा/क्षे.का./राँची-झार/US-Water/1261



दिनांक 17.07.2025

आम जनता की टिप्पणियों के लिए आमंत्रण

विषय: जलापूर्ति योजना में पाईप लाइन कि.मी. 65.020 से कि.मी. 66.600 (बाँए हाथ की ओर) एवं कि.मी. 68.750 से कि.मी. 71.515 पर बिछाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

परियोजना निदेशक-राँची के पत्रांक सं० 520 दिनांक 14.06.2025 द्वारा जलापूर्ति योजना में पाईप लाइन कि.मी. 65.020 से कि.मी. 66.600 (बाँए हाथ की ओर) एवं कि.मी. 68.750 से कि.मी. 71.515 पर बिछाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सिफारिश के साथ विषयांकित कार्य हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) दिनांक 22.11.2016 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के कि.मी. 65.020 से कि.मी. 66.600 (बाँए हाथ की ओर) एवं कि.मी. 68.750 से कि.मी. 71.515 जलापूर्ति योजना में पाइपलाइन बिछाने हेतु NOC की अनुमति देने का प्रस्ताव जनहित के आधार पर 30 दिनों के लिए जनता की टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराना होगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, विषय शीर्षक प्रस्ताव पर आम जनता की टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं, जो प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए, इसके बाद कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी।

टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय-राँची
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सी-129, विद्यालय मार्ग, अशोक नगर,
राँची, झारखण्ड, पिन-834002

यह क्षेत्रीय अधिकारी-राँची के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित रौशन 17/7/2025
(अमित रौशन)
उप महाप्रबंधक (तक.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, सी-129, विद्यालय मार्ग, पथ संख्या 2सी,
अशोक नगर, राँची-834002 (झारखण्ड)
Regional Office - Ranchi, C-129, Vidyalaya Marg, Road No. 2C,
Ashok Nagar, Ranchi - 834002 (Jharkhand)
Ph./Fax : 0651-2244029, 2244030 | e-mail : roranchi@nhai.org
website : www.nhai.gov.in



Ref: NHAI/RO/RNC-JH/Water Pipeline/1261

17.07.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Permission for laying of Water Pipeline from Ch. Km.65+020 to Ch. Km.66+600 (LHS) and Ch. Km.68+750 to Ch. Km.71+515 on NH-33- Regarding NOC.

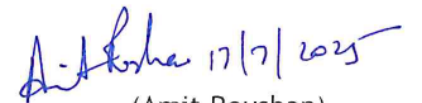
Project Director, NHAI, PIU-Ranchi vide letter no. 520 dated 14.06.2025 has submitted the proposal 'Permission for laying of Water Pipeline from Ch. Km.65+020 to Ch. Km.66+600 (LHS) and Ch. Km.68+750 to Ch. Km.71+515 on NH-33' in the state of Jharkhand for approval of Competent Authority.

As per Ministry circular issued vide OM no. RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration shall make available the proposal for granting license for use of National Highway land for laying utility service for public comments for 30 days on ground of public interest.

In view of the above, comments of general public is hereby invited on subject captioned proposal, which should reach by this office within 30 days from the date of publication, beyond which no comments shall be entertained.

The comments may be submitted at the following address:

Regional Officer,
Regional Office-Ranchi,
National Highways Authority of India,
C-129, Vidyalaya Marg, Ashok Nagar,
Ranchi, Jharkhand, PIN: 834002
Email: roranchi@nhai.org



(Amit Roushan)
Dy. General Manager (T)
For Regional Officer